B.M.A College Baheri Darbhanga (L.N.M.U)

BA (Hons) Part-II पेपर-I

Date 26/3/20

Dr Manoj Kumar Sah
Deptt of Pol-Sci

मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो मनुष्य के सामाजिक जीवन में अन्तर्निहित है और जिन्हें राज्य के जीवन का आधार-स्तम्भ स्वीकार करते है। इनके अभाव में राष्ट्र और व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक प्रगति रुक पड़ जाती है। इस संबंध में एक विद्वान की यह उक्ति है कि "fundamental Rights are those rights which are fundamental to life" अत: जिस देश में प्रजातांत्रिक सरकार होती है उस देश के संविधान में चाहे वहाँ की सरकार संसदीय हो या अध्यक्षात्मक मौलिक अधिकार का वर्णन कर दिया जाता है जिसका व्यवस्थापिका अथवा कार्यपालिका उल्लंघन नहीं कर सकती है।

M.V. pylee ने लिखा है कि - प्रजातांत्रिक शासन-व्यवस्था में नागरिकों की स्वतंत्रता का अत्याधिक महत्व रहता है क्योंकि इसके द्वारा नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास होता है। अत: नागरिकों को स्वतंत्र रहने के लिए ही शासन का इतना बड़ा ढाँचा तैयार किया जाता है। इसलिए मौलिक अधिकार सभी प्रजातांत्रिक राज्यों की आधार-शिला है।

भारत के नागरिकों संविधान द्वारा निम्नलिखित अधिकार दिए गए है—

1) ① समता का अधिकार ⓐ कानून के समक्ष समता ⓑ सामाजिक समता ⓒ अवसर की समता ⓓ अस्पृश्यता का अन्त ⓔ उपाधियों का अन्त ② स्वतंत्रता का अधिकार ③ शोषण के विरुद्ध अधिकार ④ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ⑤ सम्पत्ति का अधिकार ⑥ शिक्षा और संस्कृति का अधिकार ⑥ सम्पत्ति का अधिकार ⑦ संवैधानिक उपचारों का अधिकार